न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

निगरानी संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
13/02/2019	29–03–2019	17–06–2019

1–प्रेमसिंह पुत्र श्री पदम सिंह, जाति गुर्जर
2–श्रीमति रूपवती पत्नि श्री प्रेमसिंह, जाति गुर्जर, निवासी प्लॉट संख्या 126, मीणा धर्मशाला के पीछे, मौहल्ला नयाबास, अलवर।

–निगरानीकार

बनाम

1–नगर परिषद अलवर जरिये आयुक्त।
2–सभापति महोदय, नगर परिषद अलवर।

–अनिगरानीकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 327 राजस्थान नगर परिषद अधिनियम के तहत विरूद्ध आदेश 05.03.2019 आयुक्त, नगर परिषद अलवर

उपस्थितः–
01.श्री दाताराम गुप्ता –वकील निगरानीकार
02.श्री के0जी0 खण्डेलवाल –वकील अनिगरानीकार

——:: निर्णय ::——

निगरानीकार द्वारा यह निगरानी अन्तर्गत धारा 327 राजस्थान नगर परिषद अधिनियम के तहत अनिगरानीकार के विरूद्ध पेश कर नगर परिषद अलवर अनिगरानीकार के आदेश दिनांक 05.03.2019 जिसके द्वारा निगरानीकार को पट्टा संख्या 307 दिनांक 17.09.2013 निरस्त किया गया है, को निरस्त करने का निवेदन किया है। निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अनिगरानीकारों को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

सर्वप्रथम प्रा0पत्र आदेश 01 नियम 10 की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी/प्रार्थी मुकेश कुमार ने निवेदन किया कि प्रार्थी प्रेमसिंह ने जिस पट्टे के विरूद्ध निगरानी पेश की है। उक्त पट्टे के विरूद्ध मिन प्रार्थी द्वारा समय–समय पर नगर परिषद व कोर्ट में कार्यवाही की गई है। एक कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय में उक्त पट्टे को लेकर की हुई है। जिसमें पट्टा संख्या 307 दिनांक 17.09.2013 को निरस्त किया जावें। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गलत दस्तावेज पर पट्टा प्राप्त करने के लिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहां, नगर परिषद द्वारा दिनांक 05.03.2019 को पट्टा निरस्त करने के आदेश दिये गये, झूठे शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये। जिस बाबत प्रेमसिंह व उनकी पत्नी श्रीमति रूपवती के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के आदेश पारित हुए। जिस आदेश की पालना में एफआईआर संख्या 209 दिनांक 06.03.2019 दर्ज की गई। निगरानीकार द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए गलत रूप से निगरानी पेश की गई है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मेरे प्रा0पत्र पर विवादित पट्टे पर कार्यवाही करने के आदेश दिये गये है किन्तु श्रीमान् के न्यायालय में मुझे पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि मिन प्रार्थी उक्त प्रकरण में आवश्यक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

पक्षकार है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त निगरानी में मिन प्रार्थी को पक्षकार बनाया जावें।

वकील अप्रार्थी निगरानीकार नं0 1 व 2 में जवाब व बहस में निवेदन किया कि विवादित जायदाद का पट्टा नगर परिषद अलवर द्वारा हम प्रार्थीगण को स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत जारी किया गया है। यह गलत है कि माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त विवादित पट्टे को निरस्त करने के आदेश दिये गये थे हमारे द्वारा कोई फर्जी शपथ–पत्र पेश नहीं किया गया है। उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण आवश्यक पक्षकार नहीं है। प्रार्थीगण को विवादित जायदाद में कोई हित नहीं है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी को पक्षकार बनाया जाना न्यायहित में उचित नहीं है। वकील निगरानीकार द्वारा निवेदन किया गया कि माननीय न्यायालय अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 3, अलवर द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 18.05.2019 में उक्त प्रार्थी को आवश्यक पक्षकार नहीं मानते हुए इनका प्रा0पत्र आदेश 01 नियम 10 खारिज किया गया है। अतः प्रार्थना–पत्र आदेश 01 नियम 10 खारिज फरमाया जावें।

वकील प्रार्थी प्रा0पत्र आदेश 01 नियम 10 व वकील निगरानीकार द्वारा पेश दस्तावेज एंव बहस पर मनन किया। चूंकि प्रार्थी मुकेश कुमार द्वारा उक्त जायदाद पर अपना किसी प्रकार का हक जाहिर नहीं करते हुए मात्र शिकायत के आधार पर पक्षकार बनना चाहा है। प्रार्थी मुकेश कुमार उक्त प्रकरण में हितधारी पक्षकार नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र आदेश 01 नियम 10 खारिज किया जाता है।

निगराकार के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने जो कि आपस में पति–पत्नि का मकान प्लॉट संख्या 126 जो कि आराजी खसरा नम्बर 1122 कस्बा अलवर नं0 2 का भाग है, मीणा धर्मशाला के पीछे, नयाबास, अलवर में स्थित है। प्रार्थीगण ने उक्त प्लॉट को राजस्थान स्टेट ग्राण्ट एक्ट के तहत पट्टा प्राप्त करने हेतु नगर परिषद अलवर में प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत प्रस्तुत किया, जिस पर कमेटी द्वारा तीन अधिकारियों ने मौके की जांच की और पत्रावली संख्या 1209 के अंतर्गत पट्टा जारी करने हेतु उपयुक्त पाये जाने का निर्णय लिया। जिस पर नगर परिषद अलवर ने दिनांक 17.09.2013 को पट्टा संख्या 307 प्रार्थीगण के नाम प्लॉट संख्या 126 बाबत जारी किया गया। उक्त प्लॉट के निर्माण करने हेतु भवन निर्माण की स्वीकृति प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। नगर परिषद अलवर द्वारा दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 12.04.2015 को विज्ञप्ति संख्या 48–49 दिनांक 08.04.2015 को जारी करते हुए स्याहा कराया गया। आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने पर उप–नगर नियोजक अलवर को अनुमोदन हेतु भिजवाया गया। दिनांक 19.06.2015 को उक्त प्लॉट पर आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। जिस पर प्रार्थीगण द्वारा निर्माण कराकर रिहायश की जा रही है। नगर परिषद अलवर में प्रार्थीगण के खिलाफ बिना कोई जांच व बिना नोटिस दिये, बिना प्रार्थीगण को सुने आदेश दिनांक 05.03.2019 से उक्त पट्टा निरस्त कर दिया गया। जिसके विरूद्ध निगरानी पेश की गई है। पूर्व में दिनेश सैनी पुत्र सोहनलाल सैनी निवासी मीणा धर्मशाला के पीछे, अलवर के द्वारा एक डी0बी0 सिविल रिट पीटिशन माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में 128 पट्टों बाबत प्रस्तुत की गई थी जिसमें प्रार्थीगण के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 307 भी शामिल था। उक्त रिट का निर्णय करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पीटिशन को 50000/–

रूपये खर्चे के साथ खारिज किये जाने के आदेश फरमायें। इस प्रकार विवादित पट्टे को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बहाल रखा है। तत्पश्चात् उक्त रिट पीटिशन की पालना में विशेष साधारण सभा दिनांक 25.08.2017 बुलाई गई। जिस साधारण सभा में 47 सदस्य उपस्थित थे। उक्त साधारण सभा में प्रार्थीगण को जारी किया गया पट्टा बोर्ड द्वारा सही माना गया। नगर परिषद अलवर ने मौजूदा आदेश दिनांक 05.03.2019 माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात् के आधार पर पट्टा निरस्त फरमाया गया है जो गलत है। माननीय उच्च न्याया0 जयपुर द्वारा उक्त पट्टे के निरस्तीकरण हेतु ना तो कोई आदेश पारित किया हुआ है और ना इस संबंध में कोई दिशा निर्देश दिये हुए है। बल्कि नगर परिषद अलवर द्वारा कथित रूप से जो दस्तावेज माननीय उच्च न्याया0 में प्रस्तुत किया गया है कि जांच किये बिना प्रार्थीगण के हक में जारीशुदा पट्टा गलत तौर पर निरस्त करने के आदेश फरमाये गये है। जिस अधिकारी ने पट्टा जारी किया गया है उसको पट्टा निरस्त करने का अधिकार नहीं है। उक्त पट्टे से संबंधित लीज भी सब–रजिस्ट्रार अलवर के यहां रजिस्टर्ड करवायी गयी है। आयुक्त नगर परिषद अलवर रजिस्टर्ड डीड को निरस्त करने का अधिकार नहीं रखता है। अतः प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार की जाकर नगर परिषद अलवर का आदेश दिनांक 05.03.2019 निरस्त फरमाये जाने के आदेश फरमावें। निगरानीकार ने निगरानी के समर्थन में प्रमाणित प्रति बोर्ड कार्यवाही दिनांक 30.08.2017, रजिस्टर्ड पट्टा संख्या 307 दिनांक 17.09.2013 व रजिस्ट्रेशन दिनांक 19.09.2013, 2019(1) डीएनजे राज0 पेज 339 पेश किया है।

वकील अनिगरानीकार द्वारा निवेदन किया गया है कि उक्त पट्टे के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में मुकदमा नम्बर 1159/2017 मुकेश सैनी बनाम सरकार वगै0 विचाराधीन है। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 01.03.2019 को आदेश पारित कर उक्त विवादित पट्टों को निरस्त करने एवं एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिये गये है। उक्त आदेश की पालना में क्रमांक 17800–806 दिनांक 05.03.2019 द्वारा पट्टा संख्या 307 दिनांक 17.09.2013 निरस्त किया जा चुका है तथा एफआईआर संख्या 209 दिनांक 06.03.2019 दर्ज की गई। निगरानीकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.03.2019 को इस न्यायालय के ध्यान में ना लाकर झूठे तथ्यों पर स्थगन प्राप्त किया है। प्रार्थी को जिस जगह का पट्टा जारी किया गया है वह सार्वजनिक उपयोग की जगह है। स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत पट्टा खारिज करने का अधिकार नगर परिषद में निहित है। अतः निगरानी खारिज फरमायी जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस एवं जवाब पर मनन किया। निगरानीकार ने निगरानी पेश कर मुख्य तर्क यह उठाया कि नगर परिषद अलवर ने निगरानीकार को बिना सुने विधि विरूद्ध तरीके से पट्टा खारिज किया है। निगरानीकार द्वारा पेश नगर परिषद अलवर की कार्यवाही विवरण दिनांक 25.08.2017 में अंकित किया है कि यदि पट्टा रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसको निरस्त करने का अधिकार सिविल कोर्ट को हो जाता है। निगरानीकार द्वारा पेश नजिर 2019(1) डीएनजे राज0 पेज 339 से भी स्पष्ट है कि वैधानिक प्रधिकारी द्वारा जारी रजिस्टर्ड लीज डीड कार्यपालक शक्तियों का उपयोग कर रद्द नहीं किया जा सकता। रजिस्टर्ड लीज डीड के रद्दकरण हेतु सक्षम न्यायालय के विरूद्ध केवल सिविल वाद पेश करने का उपचार है तथा माननीय उच्च

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

न्यायालय जयपुर द्वारा भी अपने आदेश दिनांक 01.03.2019 में यह आदेश फरमाया है कि "जांच के बाद मुझे लगता है कि उत्तरदाताओं ने राज्य अनुदानों के विपरित पट्टों को जारी करना पाया, इस प्रकार इसके निरस्तीकरण की सिफारिश की। आगे अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये एफआईआर दायर कर यह निर्णय लिया गया" माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा उक्त पट्टा संख्या 307 को निरस्त करने का कोई आदेश पारित नहीं किया है। बल्कि नगर परिषद अलवर द्वारा अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की आशंका से उक्त रजिस्टर्ड पट्टे को आनन–फानन में निरस्त कर एफआईआर दर्ज करायी गई है। उक्त संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर का अंतिम निर्णय ही मान्य होगा। माननीय उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के कारण यह अदालत किसी प्रकार का निर्णय देने में सक्षम नहीं है। अतः निगरानीकार की निगरानी इसी स्तर पर ड्रोप की जाती है। निर्णय प्रति नगर परिषद, अलवर जिला अलवर को उनके मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)